2010/00028

निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 88/2010 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह बारेठ, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स जगदीश ओम स्वीट्स कैटर्स, सईद बाबा की दरगाह, सेठी कालोनी, आगरा रोड, जयपुर।
2. श्री पप्पूराम शर्मा पुत्र श्री मंगलराम शर्मा, निवासी ग्राम डांगरवाडा खुर्द, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर कार्यकर्ता फर्म।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 60.400 किलोग्राम व 02 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 11-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.11.2010 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों का वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स जगदीश ओम स्वीट्स कैटर्स, सईद बाबा की दरगाह, सेठी कालोनी, आगरा रोड, जयपुर की जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री पप्पू कुमार शर्मा पुत्र श्री मंगलराम शर्मा उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को फर्म का कार्यकर्ता होना अवगत कराया जिनकी उपस्थिति में जांच कार्यवाही की गई। जांच के दौरान सहयोग नहीं करने पर सहयोग हेतु ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थाने से पुलिस को बुलाया गया। जांच के दौरान दुकान के ठीक पीछे फर्म का मिठाई बनाने का कारखाना है जो फर्म द्वारा वक्फ बोर्ड से किराये पर लेना बताया है। फर्म द्वारा मिठाई, नमकीन आदि बनाकर विक्रय करने का कार्य किया जाता है। निरीक्षण के दौरान 01 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एसआर नम्बर 986982 पीतल के रेग्यूलेटर व रबड पाईप के माध्यम से भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर दूध के लडडू बनाये जा रहे थे। एक अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एसआर नम्बर 211619टी भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर मावा तैयार किया जा रहा था तथा जांच के दौरान कारखाने में 04 और घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. रखे पाये गये। मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स पूरण गैस जयपुर के प्रतिनिधि श्री लियाकत अली पुत्र श्री फैजू खां, निवासी प्लाट नम्बर 68, संजय नगर बी, झोटवाडा, जयपुर को सॉल्टर मशीन के साथ बुलाकर उक्त 06 गैस सिलेण्डरो का तौल कराया गया जिस पर उक्त सिलेण्डरों में 60.400

जिला कलक्टर
जयपुर

किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई तथा एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। इस प्रकार श्री पप्पू कुमार शर्मा एवं फर्म द्वारा अनुदानित दर पर उपलब्ध होने वाले घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 06 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 60.400 किलोग्राम व 2 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स पूरण गैस जयपुर के प्रतिनिधि श्री लियाकत अली पुत्र श्री फैजू खां की सुपुर्दगी में दिये गये। इस जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर 06 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 60.400 किलोग्राम व 2 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने को इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 08.11.2010 का पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री राजकुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौरान फर्म के कारखाने में निरीक्षण के दौरान 01 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एसआर नम्बर 986982 पीतल के रेग्यूलेटर व रबड पाईप के माध्यम से भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर दूध के लडडू बनाये जा रहे थे। एक अन्य धरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एसआर नम्बर 211619टी भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर मावा तैयार किया जा रहा था तथा जांच के दौरान कारखाने में 04 और घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. रखे पाये गये। फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 06 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 60.400 किलोग्राम व 2 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 04.11.2010 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण 01 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एसआर नम्बर 986982 पीतल के रेग्यूलेटर व रबड पाईप के माध्यम से भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर दूध के लडडू बनाये जा रहे थे। एक अन्य धरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एसआर नम्बर 211619टी भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर मावा तैयार किया जा रहा था तथा जांच के दौरान कारखाने में 04 और घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. रखे पाये गये। जिससे घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 06 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 60.400 किलोग्राम व 2 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 03 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 60.400 किलोग्राम व 2 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 08.11.2010 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय आज दिनांक 11-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर